कार्यवाही | नपाधिकारी के शामिल होने से जांच हो सकती है प्रभावित

लॉज हादसा : मजिस्टेरियल जांच हेतु 6 सदस्यीय टीम गठित

अनूपपुर, नवभारत 10 अप्रैल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 4 अप्रैल की शाम कोतमा नगर के बसस्टैंड के समीप चार मजिला अग्रवाल लाज के अचानक ढह जाने से वहां बिल्डिंग में कार्यरत मजदूरों के मलबा में दब जाने कारण 03 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 03 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गये है। जिस पर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा के प्रतिवेदन के बाद शुक्रवार को मजिस्टेरियल जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया हैं। जांचकर्ता अधिकारी मजिस्टेरियल जांच 03 दिवस के भीतर पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। वहीं इस टीम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा को शामिल किया गया हैं जो इस पूरे घटना के दोषी माने जाते हैं। ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती हैं।

ज्ञात हो कि 4 अप्रैल को कोतमा नगर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित बस स्टैंड के पास अग्रवाल लॉज के ठीक बगल में स्थानीय निवासी रामनरेश गर्ग ने व्यावसायिक उपयोग के लिए राकेश गर्ग द्वारा लगभग 20 बाई 50 के प्लॉट पर यह निर्माण कार्य करा रहे थे। लगभग एक सप्ताह पहले अग्रवाल लॉज की दीवार से सटाकर लगभग 12 फुट गहरा एक गड्ढा खोदा गया था। बाद में गड्ढे में पानी भर गया। इसके बाद लॉज का एक हिस्सा ढहकर उसी गड्ढे में गिर गया।

कलेक्टर मजिस्ट्रेट जांच हेतु 8 बिन्दु निर्धारित

कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच हेतु 8 बिन्दु निर्धारित किये हैं जिनमे कोतमा बस स्टेण्ड के समीप उक्त अग्रवाल लाज किसक स्वामित्व की है?। उक्त लॉज के मालिक द्वारा लॉज / भवन निर्माण की सक्षम अनुज्ञा कव और किन शर्तों के तहत प्राप्त की गई थी?। उक्त लॉज के मालिक द्वारा क्या भवन निर्माण की सक्षम अनुज्ञा, अनुमोदित नक्शा और निर्धारित शर्तों के अधीन निर्माण कार्य कराया गया था या नहीं ?। लॉज के बगल में श्री रामनरेश गर्ग एवं राकेश कुमार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य की सक्षम अनुज्ञा नगर निकाय से प्राप्त की गई है या नहीं? बिना सक्षम अनुमति के गढ़ढा कराने व निर्माण कार्य में किन नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया गया है?। उपरोक्त अग्रवाल लॉज निर्माण कोतमा एवं रामनरेश गर्ग एवं राकेश कुमार द्वारा किये गये भवन निर्माण में क्या म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के मानकों का पालन किया गया है? उन निर्माण कर्ताओं द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के किन मानको का उल्लंघन किया गया है?। उपराक्त विना सक्षम अनुज्ञा के निर्माण कार्य के फलस्वरूप इमारत ढहने व जनहानि के लिए कौन-कौन दोषी हैं?। नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत भवन अनुज्ञा एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के शर्तो का पालन कराने व शर्त अनुसार भवन निर्माण के देखरेख का दायित्व नगरनिकाय के किस अधिकारी/कर्मचारी का है तथा भवन निर्माण अनुज्ञा के शर्त व मानको का पालन नहीं कराने के लिए कौन दोषी है एवं जांच के दौरान आये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य? अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोतमा / जांचकर्ता अधिकारी 03 दिवस के भीतर पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगें। इस दौरान बिन्दुओं के संबंध में जो व्यक्ति लिखित साक्ष्य/दस्तावेजी साक्ष्य एवं कथन देना चाहते हैं वह 17 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोतमा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए की जा रही कवायद

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने उक्त घटना के कारणों, संवेदनशीलता तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मजिस्टेरियल जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम में सतीस वर्मा, एसडीएम कोतमा, प्रभात लोरिया, कार्यपालन यंत्री लाक निर्माण विभाग, नागेश पेन्द्री, सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवश, दशरथ सिंह, तहसीलदार कोतमा, प्रदीप झारिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा एवं राजन श्रीवास्तव, सिटी मैनेजर, शहरी विकास प्राधिकरण अनूपपुर शामिल हैं।

हादसे के बाद 18 जर्जर भवनों को नोटिस

कोतमा, नवभारत 10 अप्रैल। नगर के हृदय स्थल बस स्टैंड के पास शनिवार को हुई भीषण त्रासदी के बाद अब जिला प्रशासन और नगर पालिका अमला हरकत में नजर आ रहा है। एक चार मंजिला इमारत के ढहने से हुई तीन मौतों ने शहर की व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। नागरिकों के बढ़ते आक्रोश और प्रशासन की सख्ती के बीच अब नगर में अवैध निर्माणों और जर्जर इमारतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे से सबक लेते हुए नगर पालिका की टीम ने शहर के विभिन्न वार्डों में सर्वे किया। इस दौरान 18 ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया है जो चार दशक (40 वर्ष) से भी अधिक पुराने हैं और कभी भी गिर सकते हैं।

अवैध बेसमेंट अंडरग्राउंड

कोतमा नगर पालिका के पास अंडरग्राउंड निर्माण की अनुमति देने का अधिकार नहीं है, इसके बावजूद बाजार क्षेत्र में 20 से अधिक अंडरग्राउंड निर्माण कराए जा चुके हैं। प्रशासन अब ऐसे सभी अवैध निर्माणों की सूची तैयार कर रहा है।

नागरिकों में रोष

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते अवैध खुदाई और नियमों के विरुद्ध बन रही इमारतों पर लगाम लगाता, तो शनिवार को हुई वह दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी। वर्तमान कार्रवाई को लोग 'देर आए दुरुस्त आए' तो कह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग उठ रही है।

लापरवाही पर दो को किया गया था निलंबित

घोर लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से: वंदना अवस्थी (उपयंत्री, नगर पालिका) और योगेंद्र तिवारी (सहायक राजस्व निरीक्षक) को निलंबित कर दिया है। इससे पूर्व पुलिस ने भू-स्वामी और लॉज मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था।

शाला प्रांगण में पानी टंकी निर्माण पर उठा विवाद

बीईओ ने एसडीएम को लिखा पत्र

कोतमा, नवभारत 10 अप्रैल। कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) कोतमा द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला लहसुई के परिसर में नगर पालिका प्रशासन द्वारा कराई जा रही पानी टंकी के निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस संबंध में बीईओ ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र लिखकर विधि सम्मत कार्यवाही की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, माध्यमिक शाला लहसुई के प्रधानाध्यापक ने पत्र क्रमांक 161 (दिनांक 23.03.26) के माध्यम से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचित किया था कि स्कूल के प्रांगण में नगर पालिका प्रशासन द्वारा पानी की टंकी का निर्माण

कराया जा रहा है। स्कूल परिसर में इस तरह के निर्माण से छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

उच्च अधिकारियों को दी गई सूचना

इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पत्र की प्रतिलिपि सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (अनूपपुर) और जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र (अनूपपुर) को भी आवश्यक जानकारी हेतु भेजी गई है।

बीईओ ने हस्तक्षेप की मांग की

प्रधानाध्यापक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कोतमा ने 25 मार्च 25 .03 .26 को एसडीएम कोतमा को औपचारिक पत्र प्रेषित किया है। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि: 'छात्र एवं संस्था हित को सर्वोपरि रखते हुए इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए और विधि सम्मत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।'

कबीर घाट अमरकंटक में हुई साफ-सफाई

अनूपपुर, नवभारत 10 अप्रैल। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जल गंगा संर्वधन अभियान अंतर्गत कबीर घाट अमरकंटक में श्रमदान के माध्यम से साफ-सफाई का कार्य किया गया। जिसमें जलीय घासों को हटाया गया। साथ ही अभियान के तहत शासकीय उद्यान रोपणी किरगी (राजेन्द्रग्राम) में जल के उचित प्रबंधन हेतु पानी चौपाल/कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कृषकों को पानी का महत्व बताते हुए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जैसे ड्रिप संयंत्र, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर संयंत्र से सिंचाई कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सहायक संचालक उद्यान सहित उद्यानिकी विभाग के स्टॉफ उपस्थित थे।

भीषण गर्मी में बेजुबानों के लिए जीवनदायिनी पहल

अनूपपुर, नवभारत 10 अप्रैल। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां इंसान ठंडे पानी की व्यवस्था कर राहत महसूस कर रहा है, वहीं बेजुबान पशु-पक्षी बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। ऐसे समय में शिव मारुति युवा संगठन द्वारा संचालित 'हर घर नाद' अभियान समाज के सामने एक प्रेरणादायक और मानवीय उदाहरण बनकर उभरा है।

इस अभियान का उद्देश्य घर-घर के बाहर पानी के बर्तन (नाद) रखवाकर पशु-पक्षियों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था करना है। अब तक संगठन द्वारा 380 से अधिक नाद रखवाए जा चुके हैं और इस वर्ष इसे और व्यापक स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 'हर घर नाद' केवल एक सेवा नहीं, बल्कि समाज में जीवों के प्रति संवेदनशीलता जगाने का अभियान है। 'हर घर नाद आइए करें शंखनाद, अब कोई मूक जीव नहीं रहेगा प्यासा' जैसे प्रेरक संदेश के साथ यह पहल तेजी से जन-जन तक पहुंच रही है।

पिछले तीन वर्षों से निरंतर चल रहे इस अभियान के अंतर्गत संगठन द्वारा घर-घर पहुंच सेवा भी दी जा रही है, जिसके तहत स्वयंसेवक नाद सीधे लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। इस सेवा हेतु मात्र ?551/- सहयोग राशि निर्धारित की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य कार्य में भागीदारी निभा सकें। संगठन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़कर अपने घर के बाहर नाद रखवाएं और बेजुबान जीवों की प्यास बुझाने में योगदान दें।

नाद रखवाने हेतु इच्छुक व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकते हैं,मोबाइल नंबर: 9754554615, 9131003341 एवं 7747035734। एक छोटा सा प्रयास, किसी की जिंदगी बचा सकता है आइए, इस गर्मी में मानवता का परिचय दें।

एक नजर में

डीटीएबी के फैसले पर फार्मासिस्टों ने जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर, नवभारत 10 अप्रैल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शुक्रवार को डीटीएबी (ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड) के हालिया निर्णय के विरोध में एम.पी. फार्मासिस्ट एसोसिएशन, अनूपपुर द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम अनूपपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी कमलेश पुरी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाण्डेय ने बताया कि फार्मासिस्टों ने होलसेल दवा व्यापार में पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी अनुशंसा यह निर्णय न केवल फार्मेसी पेशे के साथ अन्याय है, बल्कि इससे आम जनता के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। दवा वितरण एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें प्रशिक्षित एवं पंजीकृत फार्मासिस्ट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि इस अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है, तो दवाओं के दुरुपयोग, गलत वितरण एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। फार्मासिस्टों की प्रमुख मांगो में डीटीएबी की उक्त अनुशंसा को तत्काल निरस्त किया जाए।

पुलिस बैंड में भर्ती के लिए देशभक्ति गीतों की गूंजीं धुनें

अनूपपुर, नवभारत 10 अप्रैल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय के सामतपुर तिराहे पर शुक्रवार को पुलिस बैंड भर्ती में युवाओं को शामिल करने के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जबलपुर से आई पुलिस बैंड की टीम ने देशभक्ति के गीतों पर ऐसी शानदार धुनें बजाईं कि वहां मौजूद लोग और युवा देखते रह गए। कार्यक्रम का असली मकसद युवाओं को पुलिस की इस भर्ती के बारे में बताना और उन्हें इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित करना था। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को बताया कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है और इसमें शामिल होने के लिए क्या-क्या करना होगा। अगर आप भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो ये बातें जानना जरूरी हैं।आवेदन भरने का काम 5 अप्रैल से शुरू हो चुका है और यह 19 अप्रैल तक चलेगा। इस भर्ती की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न तो दौड़ होगी और न ही कोई लिखित परीक्षा। उम्मीदवारों का 75 नंबर का 'स्किल टेस्ट' (वाद्य यंत्र बजाने की कला) होगा और 25 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। केवल मेडिकल टेस्ट पास करना जरूरी होगा। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में बैंड जवान के कुल 679 पद खाली हैं। इस कार्यक्रम के जरिए पुलिस विभाग युवाओं को पुलिस सेवा से जोड़ना चाहता है।

ताप विद्युत गृह चचाई की ऐतिहासिक उत्पादन दक्षता, मिला राष्ट्रीय सम्मान

स्वर्णिम ऊर्जा वर्ष 2025-26 81 .45 प्रतिशत पीएएफ के साथ 26,582 .75 मिलियन यूनिट उत्पादन

अनूपपुर, नवभारत 10 अप्रैल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई सहित मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के तीन और ताप विद्युत गृहों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का समापन अभूतपूर्व उपलब्धियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ करते हुए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चारों ताप विद्युत गृहों अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी, संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर व श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया ने सामूहिक रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 26,582.7 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन कर प्रदेश को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की।

इस दौरान चारों ताप विद्युत गृह ने 81.45 % प्लांट उपलब्धता फैक्टर (PAF) बनाए रखते हुए परिचालन दक्षता के उच्चतम मानक स्थापित किए। विद्युत गृहों की सभी इकाइयों ने निर्धारित मानकों के अनुरूप हीट रेट, वर्शिष्ठन तेल खपत व ऑक्जलरी पावर कंजम्पशन हासिल करते हुए उत्कृष्ट तकनीकी प्रदर्शन प्रदर्शित किया। एमपीईआरसी के मानकों से बेहतर रहा प्रदर्शन-परिचालन मानकों के संदर्भ में इस वर्ष अमरकंटक ताप विद्युत गृह फेज-III, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह फेज-IV, श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह फेज-II व फेज-ढ्ढ ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) द्वारा निर्धारित PAF मानकों से अधिक प्रदर्शन किया। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह यूनिट-10 ने 98.29%, श्री सिंगाजी सुपर ताप विद्युत परियोजना यूनिट-1 ने 94.55%, यूनिट-3 ने 88.77% व संजय गांधी ताप विद्युत गृह यूनिट-3 ने 85.92% PAF हासिल करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विशिष्ट तेल खपत में भी कंपनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए MPERC मानकों से कम खपत दर्ज की। वहीं अमरकंटक ताप विद्युत गृह फेज-III एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह फेज-IV का हीट रेट निर्धारित मानकों से बेहतर रहा।

उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय अभियंताओं, तकनीकी कार्मिकों का

कंपनी कार्मिकों की कर्मठता को दिया श्रेय-प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय अभियंताओं, तकनीकी कार्मिकों व ठेका श्रमिकों को देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल प्रदेश की विद्युत आवश्यकताओं की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करना है बल्कि तकनीकी दक्षता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी व परिचालन उत्कृष्टता के क्षेत्र में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान भी स्थापित करना है। पावर जनरेटिंग कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं और नीतियों के विस्तार के साथ भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सतत् प्रयासरत रहेगी।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में खोले गए सार्वजनिक प्याऊ

अनूपपुर, नवभारत 10 अप्रैल। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत मझौली, बैहाटोला, बेलियाछोट, उमरदा, रेउसा आदि में ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक प्याऊ (जल मंदिर) की स्थापना की गई है।

जिला प्रशासन द्वारा अभियान अंतर्गत नागरिकों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी के घड़े में पेयजल की उपलब्धता, गिलास,मग आदि की व्यवस्था के साथ ही स्वच्छता भी सुनिश्चित की गई है। सार्वजनिक प्याऊ के स्थान की मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

तांडव | ग्रामीणों ने सूचना न देने का लगाया आरोप, हाथी के हमले से मृतक के परिजनों को अबतक नहीं मिली सहायता राशि

हाथी के हमले से मृतक के परिजनों को नहीं मिली सहायता राशि

अनूपपुर, नवभारत 10 अप्रैल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में चार हाथियों ने ग्रमीण क्षेत्रों में उत्पाोद मचा रखा हैं। तीन हाथियों का झुंड शुक्रवार को 103वें दिन जिले के राजेंद्रगाम के करनपठार के जंगल में हैं, वहीं एक अकेला हाथी जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पोंड़ी एवं खांडा के जंगल में आज चौथे दिन डेरा जमाये हुए है। हाथियों द्वारा ग्रामीण जनों के फसलों तथा एक घर को खाने की तलाश में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान तीन ग्रामोंबरबसपुर,पोंड़ी,खांड़ा के ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाया हैं कि हाथी के विचरण की सूचना समय नहीं दिए गया था। ज्ञात हो कि दो माह के बाद भी ग्राम बरबसपुर में हाथी के हमले से मृत वृद्ध के परिजनों को वन विभाग द्वारा सहायता राशि नहीं दिए जाने से ग्रामीण आक्रोश है।

अनूपपुर जिले में 109 दिन पूर्व तीन हाथियों का समूह छत्तीसगढ़ की सीमा को पार जिले के जैतहरी, अनूपपुर से बुढार,अहिरगवां एवं डिंडौंरी में विचरण कर पुन: जिले के राजेंद्रग्राम के तुलरा वन बीट में सात दिनो तक घूमते तीनों शुक्रवार को अतरिया,कुर्सेरा एवं बेनीबारी के बीच जंगल में डेरा जमायें हुये हैं। जो बेनीबारी,अतरिया एवं कुसेरा गांव की सीमा के मध्य स्थित है तीनों हाथियों द्वारा दिन में जंगल में विश्राम कर देर शाम एवं रात को जंगल से निकल कर आहार की तलाश में ग्रामीण जनो के घरों एवं खेतों में लगी,रखी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा कई दिनों से हाथियों के समूह को अपने क्षेत्र से बाहर किए जाने हेतु मशाल एवं अन्य माध्यमों से खदेडे जाने पर हाथियों का समूह आक्रामक होकर ग्रामीण पर हमला करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे

खेतों में लगी फसलों को अपना आहार बना रहे

वहीं एक अकेला हाथी जो 3 अप्रैल की रात एक माह बाद फिर से अपने साथी हाथियों की तलाश में छत्तीसगढ़ की सीमा को पार कर अनूपपुर जिले के जैतहरी इलाके में 3 दिन विचरण कर विगत 5 दिनों से जिला मुख्यालय 6 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोलगढ एवं पोंडी बीट के जंगल जो ग्राम पंचायत बरबसपुर, भोलगढ ग्राम पंचायत पोंड़ी, मानपुर एवं ग्राम पंचायत खांड़ा के बाध के समीप ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर खेतों में लगी फसलों को अपना आहार बना रहा है। चार दिनों यह हाथी ग्राम पंचायत बरबसपुर निवासी एवं ग्राम पंचायत के सरपंच बिसाहूलाल रौतेल,जमुना, गंगा पांडेय आदि के खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ बरबसपुर निवासी गंगाराम पांडेय के खेत में बने मकान की दीवार में तोड़फोड़ कर, खेतों में रखें सिंचाई हेतु पाइपों को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचा है।